भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौ खक प्रश्न सं. 52**#**

गुरूवार, 21 जुलाई, **2022**/30 आषाढ़, **1944** (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

धा र्मक यात्राओं हेतु हवाई यात्रा एवं रेल यात्रा के भाड़े में छूट

52**#.** श्री दीपक प्रकाशः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) सरकार द्वारा वत्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तीर्थ यात्रा और धा र्मक मेलों जैसी गति व धयों पर कए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार धा र्मक यात्रा हेतु हवाई कराए को कम करने, हवाई मार्गों की पहचान करने और रेलमार्ग के उपयोग के लए नागर वमानन मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के साथ कोई योजना बना रही है**?**

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) और (ख): एक ववरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

धा र्मक यात्राओं हेतु हवाई यात्रा एवं रेल यात्रा के भाड़े में छूट के सम्बन्ध में दिनांक 21.07.2022 के राज्य सभा के मौ खक प्रश्न सं. 52 # के भाग (क) और (ख) के उत्तर में ववरण।

(क): पर्यटन मंत्रालय मेलों/महोत्सवों/पर्यटन सम्बन्धी समारोहों के आयोजन के लए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को वत्तीय सहायता प्रदान करता है। दिशा-निर्देशों के तहत धा र्मक मेलों और तीर्थयात्राओं के लए अलग से कोई आवंटन नहीं है और पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के संवर्धन के लए वत्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2021-22 में मेलों/महोत्सवों और समारोहों के आयोजन के लए व भन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय वत्तीय सहायता का ववरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): हवाई कराए में कटौती/अ धकतम सीमा के सम्बन्ध में नागर वमानन मंत्रालय ने यह सू चत कया है क हवाई कराया सरकारों द्वारा वनिय मत नहीं कया जाता है। वायुयान नियमावली 1937 के नियम 135 के उप नियम (**1**) के प्रावधान के अन्तर्गत एयरलाइन प्रचालन की लागत, सेवा सम्बन्धी वशेषताओं, उ चत लाभ और सामान्य रूप से प्रचा लत टैरिफ सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उ चत टैरिफ तय करने के लए स्वतंत्र हैं। एयरलाइनों द्वारा इस प्रकार निर्धारित हवाई कराया वायुयान नियमावली 1937 के नियम 135 के उप नियम (**2**) के प्रावधान के अन्तर्गत उनकी वेबसाइटों पर प्रका शत होता है।

तथा प नागर वमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टि वटी को बढ़ावा देने और लोगों के लए हवाई यात्रा कफायती बनाने के लए दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय कनेक्टि वटी योजना (आरसीएस)- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) की शुरूआत की थी। वर्ष 2016 में उड़ान योजना की शुरूआत के समय सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टि वटी रूटों के तहत लगभग 500 क.मी. की दूरी (1 घंटे की उड़ान के बराबर) के लए 2500 रु. प्रति सीट के हवाई कराए की अ धकतम सीमा निर्धारित की थी। यह अ धकतम सीमा उड़ान योजना दस्तावेज में निर्दिष्ट फॉर्मूला के सूचीकरण के अधीन है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय की सफारिश पर नागर वमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आरसीएस उड़ान 3.0 में बोली लगाने वाली एयरलाइनों द्वारा 46 पर्यटन रूट ले लए गए हैं। इनमें से अभी तक 31 पर्यटन रूट प्रचालनरत हैं जिनमें 5 प्रमुख धा र्मक स्थानों यथा वाराणसी, भुवनेश्वर, खजुराहो, अमृतसर तथा पटना तक कनेक्टि वटी भी शा मल है। वत्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान व्यवहार्यता अंतराल वत्तपोषण (वीजीएफ)

के रूप में भारतीय वायुपत्तन प्रा धकरण को लगभग 104.19 करोड़ रु. की कुल रा श की प्रतिपूर्ति की गई है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने आरसीएस उड़ान योजना की बाद की बोली प्र क्रया में 28 नए रूटों को शा मल कए जाने के लए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कया है जिसमें प्रयागराज, देवघर और गुवाहाटी जैसे धा र्मक स्थान शा मल हैं।

बेहतर रेल कनेक्टि वटी के लए पर्यटन मंत्रालय ने यह मामला रेल मंत्रालय के समक्ष भी उठाया है। रेल मंत्रालय ने सू चत कया है क रामायण परिपथ , ज्योति र्लंग परिपथ, बौद्ध परिपथ आदि जैसे थीम आधारित पर्यटन परिपथों पर 'भारत दर्शन ट्रेनें ' चलती हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे ने यह भी सू चत कया है क उन्होंने भारत की समृद्ध प्राकृतिक वरासत और भव्य ऐतिहा सक स्थानों को दर्शाने के लए 'भारत गौरव ट्रेनों (थीम आधारित पर्यटक परिपथ ट्रेनें) की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने "पर्यटन अवसंरचना वकास हेतु केन्द्रीय एजें सयों को सहायता " कार्यक्रम के तहत 50:50 के अनुपात में लागत वहन आधार पर 22 चह्नित रेलवे स्टेशनों में पर्यटक अवसंरचना सु वधाओं के वकास हेतु रेल मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। इन चह्नित 22 रेलवे स्टेशनों में से 9 धा र्मक स्थान हैं यथा अमृतसर, रामेश्वरम, मदुरै, गया, अजमेर, पुरी, तिरुपति, कामाख्या तथा तारकेश्वर। इन 22 रेलवे स्टेशनों के वकास हेतु स्वीकृत 108.54 करोड़ रु. में से 78.35 करोड़ रु. जारी कए गए हैं।

****

अनुबंध

धा र्मक यात्राओं हेतु हवाई यात्रा एवं रेल यात्रा के भाड़े में छूट के सम्बन्ध में दिनांक 21.07.2022 के राज्य सभा के मौ खक प्रश्न सं. 52 **#** के भाग (क) और (ख) के उत्तर में ववरण

वत्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान मेलों, त्योहारों और कार्यक्रमों के आयोजन के लए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत रा श।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मेलों और त्योहारों का नाम	स्वीकृत रा श
1	मजोरम	**(i)** एंथूरियम महोत्सव **(ii)** वंटर फेस्टिवल	50.00
2	पंजाब	**(i)** हरिवल्लभ संगीत समारोह सम्मेलन - जालंधर **(ii)** श्री आनंदपुर साहिब में होला-मोहला	50.00
3	तेलंगाना	(i) बथुकम्मा उत्सव **(ii)** मुलुगु में मेदाराम जतारा	50.00
4	मध्य प्रदेश	(i) जल महोत्सव **(ii)** पचमढ़ी उत्सव, पचमढ़ी **(iii)** खजुराहो नृत्य महोत्सव,	50.00
5	मेघालय	(i) वांगला नृत्य महोत्सव (ii) नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव	50.00
6	चंडीगढ़	(i) चंडीगढ़ कार्निवल (ii) नव वर्ष समारोह (iii) 50 वां चंडीगढ़ रोज फेस्टिवल	30.00
7	नागालैंड	(i) हॉर्नबिल फेस्टिवल **(ii)** अंगामी के सेक्रेन्यी महोत्सव	30.00
8	सक्किम	**(i)** चेरी टेमी टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल टेमी टी गार्डेन्स साउथ सक्किम **(ii)** खांगचेंदज़ोंगा वंटर कार्निवल फेस्टिवल **(iii)** जोरेथांग माघे मेला	50.00
9	उत्तराखंड	(i) टिहरी झील महोत्सव **(ii)** अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव	50.00
10	अरुणाचल प्रदेश	**(i)** ईस्टरली एसेंस लेडम फेस्टिवल **(ii)** संगीत और एडवेंचर का ऑरेंज फेस्टिवल	50.00

11	असम	(i) भोगली महोत्सव (ii) रोंगोली वहू महोत्सव	50.00
12	त मलनाडु	भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
13	पुदुचेरी	(i) पुडुचेरी में 27वां योग महोत्सव (ii) यनम पीपुल्स फेस्टिवल कराईकल में कार्निवल महोत्सव	30.00
14.	हिमाचल प्रदेश	अंतर्राष्ट्रीय शवरात्रि मेला	**25.00**
15.	गोवा	कार्निवल महोत्सव शग्मो महोत्सव	50.00
16.	हरियाणा	सूरजकुंड मेला	30.00

****